न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 86/2016

श्रीमती काली उर्फ मरियम वगै0 बनाम निजामुदीन वगैरह

दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 सीपीसी

निर्णय

दिनांक 07.02.2025

अप्रार्थीगण (प्रतिवादी) संख्या 1, 2/1 लगायत 2/8 एवं 3/1 लगायत 3/6 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि उक्त उनवानी मुकदमा में वादीगण अथवा प्रतिवादी नं. 11 का अथवा प्रतिवादी नं. 4 लगायत 10 का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध नही है न ही कभी रहा। वादीगण व प्रतिवादी नं. 11 का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के रेवेन्यू रिकार्ड में कही भी दर्ज नही है। वादीगण अथवा प्रतिवादी नं. 11 का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार, कब्जा या काश्त आज तक नही रहा है वादीगण को वर्तमान वाद दायर करने हेतु कोई वादकारण (कॉज ऑफ एक्शन) पैदा नही हुआ वादी नं. 1 खेराती पुत्र चान्द सिक्का की पुत्री नही है खेराती पुत्र चान्द सिक्का भी वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार नही रहा। वादीगण को दावा दायरी के लिए कोई कॉज ऑफ एक्शन नही था। दावा वादीगण कानूनन चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण नं. 1 व 2/1 लगायत 2/8 एवं 3/1 लगायत 3/6 वादकारण के अभाव में मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण (वादीगण) की ओर से प्रार्थना पत्र अः आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जबाब पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि वादीगण, प्रतिवादी नं. 11 का कोई विवादित जमीन से सम्बन्ध न हो और न कभी रहा हो। वादग्रस्त जमीन का रिकॉर्ड प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियो की गलती से गलत बना हुआ है। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कोई खातेदारी अधिकार या काश्त आजतक न रही हो। यह कहना भी गलत है कि वादीगण को दावा दायर करने के लिए कोई वाद कारण पैदा न हुआ हो। यह कहना भी गलत है कि वादी नं. 1 खेराती पुत्र चान्द सिक्का की पुत्री न हो व यह कहना भी गलत है कि खेराती पुत्र चान्द वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार न रहा हो। यह कहना भी गलत है कि वादीगण को दावा दायर करने के लिए कोई कॉज ऑफ एक्शन न पैदा हुआ हो। यह कहना भी गलत है कि वादीगण का दावा कानून से चलने योग्य न हो। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता ने यह भी स्पष्ट नही किया कि वादीगण का दावा किस कानून के तहत चलने योग्य नही है। असल मे वादीगण की ओर से दावा मे दावा के लिए वाद कारण पैदा होने की दिनांक आदि का हवाला देते हुये स्पष्ट किया है। कानून की भी यह सुस्थापित व्यवस्था है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय वादीगण की ओर से किये गये अभिकथनो पर ही गौर किया जाकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता तथा इस स्तर पर प्रतिवादीगण की ओर से अपने जबाब दावा अथवा प्रार्थना पत्र मे किये गये अभिकथनो व इनकी ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही किया जा सकता। वादीगण की ओर से अपने दाबा की अन्य धाराओ के अलावा धारा 7 वाद पात्र मे विशिष्ट रूप से तारीख, महिना व साल सहित दावा के लिये वाद कारण उत्पन्न होने का अभिकथन किया गया है। ऐसी स्थिति मे

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण की सुनवाई मे देरी करने के इरादे से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे कथन किया जाना कि वादीगण का विवादित जमीन से कोई सम्बन्ध नही है व न वादीगण इस विवादित जमीन के खातेदार काश्तकार है अथवा वादीगण का विवादित जमीन पर कब्जा नही है आदि बाते आदेश 7 नियम 11 के Ingredients मे शामिल नही है। प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य है। अतः अप्रार्थीगण (वादीगण) की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाबदेही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण (वादीगण अथवा प्रतिवादी नं. 11 का अथवा प्रतिवादी नं. 4 लगायत 10) का वादग्रस्त भूमि से कभी कोई संबंध नहीं रहा। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण (प्रतिवादी) संख्या 1, 2/1 लगायत 2/8 एवं 3/1 लगायत 3/6 के पिता सुरजा पुत्र खैराती सिक्का मुसलमान निवासी झुन्झुनू की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है। खैराती के दो पुत्रियां संतान होना दावा में कथन किया है जबकि खैराती के एकमात्र पुत्र संतान सुरजा उर्फ गीगा था जो वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त था। राजस्व रिकार्ड मिसल हकीयत 1999 में सुरजा वल्द खैराती दर्ज है उसके बाद की जमांबदी सम्वत 2012–2015, 2024–26, 2028–31 में सुरजा वल्द खैराती दर्ज है सुरजा, गीगा का ही नाम था जिसे नामान्तरकरण संख्या 1212 के द्वारा दुरूस्त किया जाकर गीगा वल्द खैराती दर्ज किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के संबध में वादीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही वादीगण के पूर्वजों का कभी कोई कब्जा काश्त रहा है। वादीगण द्वारा गलत तथ्य पेश कर दावा किया गया है इसके लिये वादीगण को कभी कोई वादकारण पेदा नहीं हुआ। वादीगण ने वाद पत्र की धारा 7 में जो वादकारण अंकित किया है वह वाद के तथ्यों के अनुसार नहीं है। वादीगण ने मनगढ़त तथ्य बनाकर वादकारण अंकित किया है। जो मौजुदा वाद में वाद पत्र के तथ्यों एवं राजस्व रिकार्ड में किसी के अनुरूप नहीं है। ना ही वादीगण ने अपने वाद में अंकित वाद कारण के समर्थन में ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज अथवा कोई अन्य सबूत पेश किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का हित निहित हो ओर जिसके कारण वाद पत्र में अंकित वादकारण उत्पन्न हुआ हो। अतः अप्रार्थीगण का मौजुदा वाद वादकारण के अभाव में खारीज होने योग्य है।

वकील अप्रार्थीगण ने दोराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादीगण ने घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया है जिसकी धारा 7 में वादकारण का उल्लेख किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पोषणीय नहीं होने से खारीज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण (वादीगण) की ओर से अपने जवाब के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये है :–

1. 2024(1)DNJ (Rev) पेज 687
2. 2024(1)DNJ (Rev) पेज 52
3. 2011(2)RRT पेज 1203
4. 2015DNJ (S.C.) पेज 242
5. 2016WLC (Raj) पेज 98

विधि के बिन्दु पर आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा :–

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,
2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है,
6. जंहां वादी नियंम 9 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं वाद पत्र का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रार्थीगण की मुख्य आपति वाद पेश करने के दौरान वाद कारण पैदा नहीं होना है। आदेश 7 नियम 11 के उपनियम 1 में दावा जहां वाद हैतुक प्रकट नही करता है वहां खारीज करने का प्रावधान है। प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा अपने दावा की मद संख्या 7 में दिनांक 20.02.2016 को वादकारण तब पैदा होना अंकित किया है जब वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 से जमीन जैर बहस के गलत राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने व खाता विभाजन के लिए कहने पर प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। उक्त वादकारण एक सामान्य वादकारण है जो किसी भी वाद पत्र पर चस्पा किया जा सकता है। जहां वाद हैतुक के प्रकट होने का बिन्दु है वहां वादकारण से तात्पर्य ऐसे वाद हैतुक (वादकारण) से है जो वाद में वर्णित तथ्यों पर पूर्णतया चस्पा हो ओर जिसके समर्थन में वादकर्ता के पास आवश्यक साक्ष्य, सबूत हो। प्रश्नगत प्रकरण में वादीगण द्वारा वाद पत्र की धारा 7 में वादकारण तो अंकित किया है परन्तु वादकारण के समर्थन में वादग्रस्त भूमि पर अपने हक अधिकार संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जो वाद पत्र में अंकित वादकारण पर चस्पा हो सके। वादीगण ने अपने आप को खैराती का वारिसान बताकर घोषणा, दुरूस्ती का दावा पेश किया है जबकि वादग्रस्त आराजी से संबंधित कोई भी दस्तावेज यथा मिसल हकीयत, जमाबंदी, गिरदावरी खैराती के नाम दर्ज नहीं रही। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वादीगण को खैराती का वारिस नहीं होने का बिन्दु उठाये जाने के बावजूद भी वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे वो खैराती के वारिस साबित होते है। खातेदारी अधिकार का एक मुख्य आधार सम्वत 2012 की जमाबंदी है जबकि वाद पत्र धारा 3 में खैराती का देहान्त सम्वत 2012 में होना अंकित किया है एवं वादग्रस्त भूमि मिसल हकीयत 1999 से ही सुरजा वल्द खैराती के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। लिहाजा वादीगण द्वारा वादपत्र की धारा 7 में अंकित वादकारण वाद में वर्णित तथ्यों एवं चाही गई सिद्वि पर वादकारण पृकट होना नहीं माना जा सकता। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अतः समस्त तथ्यों, दौराने बहस पेश की गई दलीलों के मध्यनजर प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रश्नगत प्रकरण पर लागु होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता। वादीगण का वाद पत्र वादकारण के अभाव में आदेश 7 नियम 11 के तहत खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/02/25

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
झुन्झुनू (राज.)